Volume No: - 25
Year: - 02/2025

MONTHLY REPORT OF NHRCCB

FOR THE MONTH OF FEBRUARY 2025

Web: - www.nhrccb.org Email: - nhrccb@gmail.com

TABLE OF CONTENTS

1. **NATIONAL PRESIDENTS' MESSAGE**

2. **ABOUT NHRCCB** **4**

3. **AIMS & OBJECTIVES OF NHRCCB** **5-7**

4. **OURTEAM STRENGTH** **8**

5. **MONTHLY REPORT FEBRUARY 2025** **9- 13**

संदेश

मानवाधिकार के साथ व्यक्ति के स्वतंत्रता और समानता का मूल्य भी जुड़ा है। मानवाधिकार की रक्षा में मानवाधिकार कार्यकर्ता की भूमिका बेहद ही सराहनीय होती है। मानवाधिकार के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समेत कई गैर सरकारी संस्थान कार्यरत है जिसके फलस्वरूप पिछले एक दशक में लोगो के बीच मानवाधिकार की जागरूकता आई है।

इसी कड़ी में एन एच आर सी सी बी बतौर गैर सरकारी संगठन पिछले 7 वर्षो से समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगो के मानवाधिकार हेतु कृत संकल्पित है । भारत के हजारों सदस्यों के बदौलत मानवाधिकार के क्षेत्र में एन एच आर सी सी बी एक मजबूत पहचान बन चुकी है। हजारों-लाखों वंचितो एवं पीड़ितों की आवाज बन चुकी है ।

सम्पूर्ण भारत वर्ष में संस्था के सदस्यों / पदाधिकारियों द्वारा की जा रही गतिविधियों की मासिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी प्रकाशित की जा रही है ।

आपके समक्ष फरवरी, 2025 की मासिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी संलग्न की जा रही है। उम्मीद करता हूं यह पहल संस्था के समस्त साथियों को नई ऊर्जा देने की कार्य करेगी ।

(डॉ रणधीर कुमार)

ABOUT NHRCCB

NATIONAL HUMAN RIGHTS AND CRIME CONTROL BUREAU National Human Rights and Crime Control Bureau (NHRCCB) is a Non-Profit Organization or Voluntary Organization Incorporated under the Legislation Government of India. Registered in 2017 under Indian Trust Act- 1882 Government of India with Reg. No 483/2017. Registered with NITI AAYOG, Government of India, United Nation Department of Economics and Social Affairs, United Nation, 12A & 80G Under Department of Income Tax, Ministry of Finance Government of India and CSR1 Under Ministry Of Corporate Affairs, Government of India.

PROTECTING HUMAN RIGHTS UNDER

- Human Rights Protection Act 1993
- Universal Deceleration of Human Rights adopted by the United Nations in 1948.
- Protecting Under Human Rights both at individual and Communal Level.
- Protecting Women Rights for curbing the gender inequality across the nation.
- Protection Child Rights and Promoting education for all
- Keeping a check on criminal motivation across the country.
- Helping all the administrative bodies in order to propagate communal harmony.

NHRCCB REGISTARTION AND AFFILATION

- Registered under the Indian Trust Act 1882 Government of India in 2017.
- Regd. Under NITI Aayog Government of India (NGO Darpan)
- Regd. Under Ministry of Women and Child Development, Government of India,
- Regd. Under United Nations (UNDESA).
- Regd. under 12A&80G by Income Tax Department, Ministry of Finance Government of India.

- Regd. Under CSR1 Ministry of Corporate Affairs Government of India.
- Registered by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India.

PLEDGE CERTIFICATE FROM

National Human Rights Commission, Government of India.
Central Vigilance Commission, Government of India.
National Commission for Women, Government of India.
National Commission for Protection of Child Rights, Government of India

AIMS & OBJECTIVES OF NHRCCB

(NHRCCB WAS ESTABLISHED ON 07 NOVEMBER 2017 WITH THE FOLLOWING AIMS& OBJECTIVES)

1. According to the Human Rights Protection Act 1993, the Government of India, to work for the promotion and protection of human rights.
2. Organizing various camps, seminars, workshops, conferences etc. for awareness among Citizens about human rights.
3. To cooperate and encourage non-governmental organizations and educational institutions working in the field of human rights.
4. To build and operate educational institutions in the field of human rights.
5. To work together and in cooperation with the government for the protection of Human Rights and crime control.
6. National Human Rights Commission / State Human Rights Commission / National Commission for Women / State Commission for Women / National Commission for Protection of Child Rights / State Commission for Protection of Child Rights / National Commission for Protection of Child Rights / National Commission for Scheduled Castes /State Scheduled Castes on receipt of complaints on issues like human rights abuses To Provide justice to the victim through the Tribal Commission / Central Government / State Government / District Administration / Police Administration and other constitutional Institutions.
7. To file a petition in the court in human rights violations cases and get justice to the victim Through the court.

8. To work together with the Central Government / State Government and local government - administration for the protection and promotion of human rights.
9. According to the United Nations Human Rights Act 1948, to make citizens aware of human rights and work to protect the rights of citizens.
10. To promote and propagate the fundamental rights (right to equality, right to freedom, Right against exploitation, right to freedom of religion, culture and education, right to Property and constitutional remedies) given by the Indian Constitution and every Indian citizen To work for the attainment of fundamental rights.
11. To organize workshops, seminars, awareness programs on crime control.
12. Governance for Corruption Free India – Working together with the administration to Control corruption.
13. To protect the Child Rights Protection Act and work for prevention of child marriage, child violence, child labour, child trafficking.
14. To work for publicity and awareness of Right to Information (RTI) Act.
15. Getting information through RTI and taking action against the corrupt.
16. Fighting the rights of doctors, lawyers, journalists etc. in a constitutional way by creating Various cells / units.
17. To run awareness campaign related to cyber-crime prevention and to cooperate with the administration for prevention.
18. Governance - To help the administration to curb the misuse of government posts and Government machinery.
19. To work for the rights of the prisoners (prisoners) and to provide them legal aid and Guidance.
20. To cooperate with the police administration regarding crime control and mutual harmony, goodwill and peace.
21. Public Grievance Redressal Centre, Crime and Corruption Investigation, Crime Investigation and Research Service, Security and Intelligence Service, Media Information, Education and Law, Civil Defence, Journalism and Journalist Defence, Right to Information,
    Human Rights, Child Rights, Detective Services Setting up and providing security.
22. To promote various schemes run by the government and to benefit the citizens.

23. To cooperate and work together in various programs by the units of the district / state /Centre.
24. To settle the cases by organizing Lok Adalats after permission from time to time.
25. To make women aware of women's rights and work for their participation in the system.
26. To make women aware and work to curb women violence.
27. Governance for women's rights and women's safety - Working together with the Administration.
28. To honor the outstanding talents of the society from time to time and provide them Platforms.
29. Helping the administration by running an awareness campaign for serious issues like Human trafficking.
30. To run an awareness campaign to curb discrimination on the basis of caste, class, Community, race, sex, color.
31. To organize awareness camps on evil practices like dowry bonded labor etc. and work to stop such incidents through the concerned government institutions and courts.
32. Organizing camps like medical camps, blood donation camps, eye camps etc.
33. After receiving the complaint, after the permission of the government institutions, to take the problems of the citizens to the administration and make efforts to solve the problem.
34. Establishment and operation of Old Age Home, Health Centre, Nari Shakti Kendra, Child Improvement Centre, Hospital. Etc

OUR STRENGTH

70+ NATIONAL TEAM OFFICER

450+ STATE TEAM OFFICER

300+ DIVISION TEAM OFFICER

2500+ DIST TEAM OFFICER

3500+ BLOCK TEAM OFFICER

8000+ ACTIVE MEMBER

12000+ VOLUNTEER

Date 01.02.2025

बालिका दिवस पर दिया गया एन एच आर सी सी बी बालिका प्रेरणा सम्मान

जांजगीर चाम्पा (महाकोशल)। आज किसी भी स्तर मे बालिका पीछे नहीं शिक्षा हो या खेल संस्कृतिक हो या सामाजिक हर स्तर पर इनका प्रदर्शन बेहतर होता है इसी श्रृंखला में अपने क्षेत्र मे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बालिकाओं को एन एच आर सी सी बी प्रेरणा सम्मान दिया गया।

चाम्पा में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ प्रदेश अध्यक्ष डॉ जतिंदरपाल सिंह के मार्गदर्शन में टीम द्वारा उन बालिकाओं की सूची बनाएं गए जिन्हें किसी क्षेत्र मे महारत हासिल है जिसमें शिक्षा खेल कूद के अलावा बेटी बचाओ बेटी पढाओ एवं कथा वाचक के रूप मे भी बालिकाओं का सम्मान हुआ लगभग 31 बालिकाओं का सम्मान हुआ साथ ही कुछ बालिकाओं ने अपने प्रतिभा जा प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम का मंच संचालन प्रदेश संरक्षक श्री बोधी राम साहू एवं जिला संरक्षक श्री रवीन्द्र द्विवेदी द्वारा किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी श्री अमरजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप मे शामिल थे साथ ही एन एच आर सी सी बी छत्तीसगढ टीम के प्रदेश पदाधिकारी जिनमे प्रदेश संरक्षक दिलीप साहू प्रदेश सलाहकार अमोलक सिंह संभाग संरक्षक राजेश सोनी जिला कार्यकारी अध्यक्ष गुरविंदर सिंह जिला कार्यकारी सह सचिव कुलवंत सिंह जिला संरक्षक रवीन्द्र द्विवेदी कानूनी सलाहकार रमेश सोनी सदस्य संतोषी पाड़े जी वालंटियर श्रीमती हरप्रीत कौर मंदीप कौर लवजीत कौर शामिल थे।

कार्यक्रम के अंत मे स्वल्पाहार का कार्यक्रम हुआ। प्रदेश अध्यक्ष डॉ जतिंदरपाल ने कहा कि बालिका दिवस पर आज हम सब इस बात पर ध्यान दे हम बेटी को बेटी कहकर ही बुलाए आप उन्हें बेटा कहकर आज भी उन्हें बेटा के रूप मे देख रहे और उन्हें उनका अधिकार से वंचित कर रहे उन्हें बेटी बुलाए और उन्हें वहीं अधिकार दे जो आप बेटा को देते है।

Date 04.02.2025

गुम इंसान को एनएचआरसीसीबी के पदाधिकारियों ने परिवार से मिलाया

राजधानी रिपोर्टर
जांजगीर चाम्पा। राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो मानव अधिकार के प्रति सजग सतर्क एवं हमेशा तत्पर रहने मानव अधिकार रक्षा के लिए मिशाल कायम किया संभागीय महासचिव ललित कुमार बरेठ जिला महासचिव विजय कुमार यादव एक्टिव सदस्य अतुल यादव ब्यास कश्यप पप्पू यादव अंशु यादव लालू यादव साहिल कश्यप संतू कश्यप गांव बुड़ेना से लेकर उनके साथ जिनका मानसिक स्थिति खराब होने के कारण अपने घर से लापता हो गए थे परिवार वाले उनकी बीवी मां उनके पूरा परिवार ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे तब उनको हमारे गांव बुड़ेना थाना तहसील नवागढ जिला जांजगीर कुछ लड़के जो वालंटियर NHRCCB टीम छत्तीसगढ़ ने उनके गृह गांव जिला सारंगढ़ जनपद पंचायत बिलाईगढ थाना तहसील सरशिवा गांव तावलीडीह में उनके मां परिवार एवं पंच सरपंच समस्त ग्राम वाशी के बीच उन्हें सौंपा गया सभी गांव व परिवार जन उन्हें देखकर खुशी एवं आनंदित हुए उन्होंने हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो छत्तीसगढी टीम का आभार व्यक्त किया दिनांक 31 जनवरी 2015 रात्रि 11 बजे।

Date 04.02.2025

यह लेख राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (एनएचआरसीसीबी) द्वारा आयोजित एक कार्यशाला के बारे में बताता है, जिसमें सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिक दायित्वों के महत्व पर चर्चा की गई थी। एनएचआरसीसीबी के सदस्य प्राध्यापक राजा सिंह झींजर ने कहा कि सामाजिक जिम्मेदारी हमारे नागरिक दायित्वों का पालन करना और समाज के हित में काम करना है। उन्होंने यह भी कहा कि विकट परिस्थितियों में जरूरतमंद लोगों की मदद करने को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों और जागरूकता के महत्व के बारे में बताया गया। विद्यालय प्रधानाचार्या डॉ वीरमती सीड़ा ने कहा कि सामाजिक संरचना का आधार हमारी जागरूकता और बेहतर शिक्षा पर आधारित है। इस

अवसर पर संस्कृत प्राध्यापक प्रीतम दास ने विद्यार्थियों को सांस्कृतिक मूल्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में कई अन्य अध्यापक और प्राध्यापक भी उपस्थित थे।

Date 05.02.2025

WED,05 FEBRUARY 2025
EDITION: KAITHAL KESARI, PAGE NO. 4

अपने नागरिक दायित्वों का पालन व समाज के हित में काम करना ही सामाजिक जिम्मेदारी : झींजर

गुहला-चीका, 4 फरवरी (गोयल): सामाजिक निर्भरता खुशहाल समाज का आधार होती है, लेकिन हमारा सामाजिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना आज चिंता का विषय है। उक्त विचार राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (एन.एच.आर.सी.सी.बी.) सदस्य प्राध्यापक राजा सिंह झींजर ने सरकारी स्कूल हरिगढ़ किंगन में विद्यार्थियों से कहे।

उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी विषय पर आयोजित कार्यशाला में बताया कि अपने नागरिक दायित्वों का पालन करना और समाज के हित में काम करना ही सामाजिक जिम्मेदारी है। विकट परिस्थितियों में जरूरतमंद लोगों की मदद करने को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से भारत अनेकता में एकता का विश्व स्तरीय उदाहरण रहा है, लेकिन हमारे संकुचित विचारों व सीमित शिक्षा ने एक-दूसरे के बीच में दूरियां पैदा कर दी हैं। आज बुजुर्गों का खत्म होता सामाजिक सम्मान आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है।

अगर आज हम समाज के आदर्श बुजुर्गों की समुचित देखभाल करेंगे तो कल हमें भी सामाजिक सम्मान की प्राप्ति होगी।

विद्यालय प्रधानाचार्या डॉ. वीरमती सीड़ा ने कहा कि सामाजिक संरचना का आधार हमारी जागरूकता व बेहतर शिक्षा पर आधारित है। हमें भारतीय सभ्यता व संस्कृति के स्वर्णिम इतिहास की जानकारी विद्यार्थियों को देनी चाहिए, ताकि सामाजिक भविष्य सुरक्षित रह सके।

इस मौके पर संस्कृत प्राध्यापक प्रीतम दास ने विद्यार्थियों को सांस्कृतिक मूल्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्राध्यापक चंद्रभान वर्मा, प्रीतम दास, ज्योति मेहता, मौलिक मुख्य अध्यापक मोहिंदर सिंह, महेंद्र सिंह सीड़ा, सतीश कुमार, कमलेश देवी, मीनाक्षी मेहता सहित अन्य उपस्थित थे।

सामाजिक दायित्वों की जानकारी देते हुए प्रधानाचार्या डॉ. सीड़ा व एन.एच.आर.सी.सी.बी. ब्यूरो सदस्य झींजर। (गोयल)

Date 13.02.2025

NHRCCB UP TEAM

प्रयागराज में गऊ घाट दुर्गा मंदिर के पास राष्ट्रीय मानवाधिकार व अपराध नियंत्रण ब्यूरो की संस्था द्वारा महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए एक भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को महाकुंभ 2025 की व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया। महाकुंभ 2025 के अवसर पर माघी पूर्णिमा के दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार व अपराध नियंत्रण ब्यूरो की संस्था द्वारा प्रयागराज में एक सेवा भंडारा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व पूनम चौरसिया ने किया और यश गुप्ता, खालिद समदानी, संजय मिश्रा ने भी इसमें भाग लिया। स्थानीय बच्चों ने मिलकर सेवा भंडारा का कार्य किया, जिसमें शिवकुमार शर्मा, आशीष शर्मा, विशाल केसरवानी, राम केसरवानी, प्रिंस, शिवम चौरसिया, छोटू भैया, पति श्याम जी साहू ने सहयोग किया। सेवा भंडारा का आयोजन पूनम चौरसिया के देखरेख में किया गया था। उन्होंने संस्था के पदाधिकारियों का शुक्रिया कहा जो इस पुनीत कार्य में श्रद्धालुओं के लिए सहयोग किया था। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद संस्था का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को महाकुंभ 2025 की व्यवस्था के लिए तहे दिल से शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि संगम आकर आस्था की डुबकी लगाकर धन्य हो गया हमारा जीवन।

Date 13.02.2025

मध्यप्रदेश के भोपाल में भिक्षावृत्ति पूरी तरह से प्रतिबंधित है भीख मांगना और भिखारी को भीख देना अपराध होगा भीख लेने देने वालो के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी !

जनपद भिखारियों को पकड़ने का जिम्मा, उन्हें नियम ही नहीं पता

भीख मांगते वीडियो नहीं बनाया, बिना सबूत नहीं हो सकी FIR

माता मंदिर से पकड़कर टीटी नगर थाने ले गए, प्रक्रिया का पालन नहीं

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

प्रशासन की टीम ने मंगलवार शाम को एक भिखारी को माता मंदिर के पास से पकड़ा और प्रकरण दर्ज कराने टीटी नगर थाना लेकर पहुंची। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज करने से इंकार कर दिया क्योंकि टीम ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। पुलिस ने कहा कि भीख मांगने वाले और भीख देने वाले दोनों का वीडियो होना चाहिए। यह वीडियो बतौर सबूत सीडी में लाना होगा। यही नहीं, बीएनएसएस की धारा 163 के तहत एफआईआर दर्ज कराने वाले का शपथ पत्र भी चाहिए होगा। इसके आधार पर ही प्रकरण दर्ज किया जाएगा। चूंकि, प्रशासन की ओर से ऐसी कोई तैयारी नहीं थी, इसलिए एक घंटे की मशक्कत के बाद भी भिखारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं हो सका। इसके बाद टीम ने भिखारी को छोड़ दिया।

पुलिस ने इसलिए नहीं दर्ज किया केस

4 फरवरी को कलेक्टर के आदेश पर सीईओ जिला पंचायत की ओर से चार नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसी आदेश में स्पष्ट है कि भीख मांगने वाले और भीख देने वाले की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराते हुए पुलिस के सहयोग से संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। लेकिन, टीम ने फुटपाथ पर बैठे भिखारी का वीडियो बनाया और उसे लेकर थाने पहुंची। यही वजह रही कि पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया।

कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी

6 से ज्यादा स्थानों पर भिखारियों की सर्चिंग की गई। माता मंदिर चौराहा क्षेत्र से एक भिखारी को पकड़कर थाना लेकर पहुंचे। लेकिन, पुलिस ने भीख लेते और देते हुए वीडियो की मांग की। ऐसा वीडियो नहीं था, इसलिए प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। कार्रवाई जारी रहेगी।
आरके सिंह, संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय

Date 14.02.2025

श्रद्धालुओं के लिए भव्य भंडारा कराया गया , श्रद्धालुओं ने उ
प्रदेश के मुख्यम
आदित्यनाथ योगी को धन्य
कहा, महाकुंभ2025 व्यव
के लिए प्रयागराज अ
दिनांक 12 फरवरी 2025
माघी पूर्णिमा के अवसर
राष्ट्रीय मानवाधिकार व अप
नियंत्रण ब्यूरो की संस्था द्व
प्रयागराज महाकुंभ 2025 अ
हुए श्रद्धालुओं के लिए
भंडारा कराया गया। राष्ट्
मानवाधिकार अपराध नियं
ब्यूरो की पूनम चौरसिय
नेतृत्व में आयोजित हुआ था। जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिका
अपराध नियंत्रण ब्यूरो के यश गुप्ता, खालिद समदानी, सं
मिश्रा मौके पर उपस्थित होकर सेवाभंडारा में बंटवाने में सह
किया। स्थानीय बच्चों ने मिलकर सेवा भंडारा का कार्य वि
जिसमें शिवकुमार शर्मा आशीष शर्मा, विशाल केसरवानी,
केसरवानी, प्रिंस , शिवम चौरसिया छोटू भैया, पति श्याम जी
ने सहयोग किया। सेवा भंडारा राष्ट्रीय मानवाधिकार व अप
नियंत्रण ब्यूरो की पूनम चौरसिया के देखरेख में किया गया

Date 14.02.2025

राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो जिला बालाघाट मध्यप्रदेश के थाना लालबर्रा में पदस्थ थाना प्रभारी श्री हेमंत नायक जी का स्थानांतरण वारासिवनी थाना जिला बालाघाट में किया गया है। उनके विदाई समारोह में राष्ट्रीय मानव अधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जिला अध्यक्ष चयंक चैतगुरू और जिला उपाध्यक्ष आयुष फगवानी ने उन्हें पुष्प गुच्छा, साल और श्रीफल देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

Date 14.02.2025

राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो जिला बालाघाट के तहसील लालबर्रा थाना में नवनिर्वाचित पदस्थ थाना प्रभारी श्री सुनील चतुर्वेदी जी का स्वागत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जिला अध्यक्ष चयंक चैतगुरू और जिला उपाध्यक्ष आयुष फगवानी ने उन्हें पुष्प गुच्छ, साल और श्रीफल देकर सम्मानित किया और समस्त पदाधिकारियों की ओर से उन्हें उज्वल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं और बधाई दी।

Date 15.02.2025

आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष डॉ जतिंदर पाल सिंह जी के मार्गदर्शन में और जिला अध्यक्ष लाभों कुमार सूर्या के आदेशानुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो टीम सारंगढ़ बिलाईगढ़ ने शासकीय पूर्व

माध्यमिक विद्यालय दयालपुर में जागरूकता कार्यक्रम (स्वच्छता संबंधित) का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधान पाठक श्री महेश्वर देवांगन, शिक्षक पटेल, चंद्रवंशी और सिधार जी उपस्थित थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो टीम सारंगढ़ बिलाईगढ़ के जिला अध्यक्ष लाभों कुमार सूर्या और ब्लॉक अध्यक्ष परदेशी दास मानिकपुरी ने भी इसमें भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों को राष्ट्रीय मानवाधिकार, डिजिटल अरेस्ट, गुड टच बेड टच और 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा की जानकारी दी गई। श्री लाभों कुमार सूर्या जिला अध्यक्ष ने इन विषयों पर जानकारी प्रदान की। सभी शिक्षकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ रणधीर कुमार जी और प्रांतीय अध्यक्ष डॉ जतिंदर पाल सिंह जी को धन्यवाद दिया और राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो टीम सारंगढ़ बिलाईगढ़ को भी धन्यवाद दिया।

Date 15.02.2025

पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध एवं नियंत्रण ब्यूरो चांपा, छत्तीसगढ़ ने श्रद्धांजलि दी। यह कार्यक्रम पुलवामा आतंकी हमले की ६वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध एवं नियंत्रण ब्यूरो टीम के द्वारा थाना चौक में स्थित शहीद स्मारक में फूलों की माला, मोमबत्ती और दीप प्रज्वलित कर दो मिनट का मौन धारण किया गया और शहीद जवानों को याद किया गया। इस अवसर पर राजेश सोनी ने कहा, "पुलवामा में शहीद हुए जवान देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीद हैं और उनका बलिदान इतिहास में सदैव अमर रहेगा।" इस अवसर पर अध्यक्ष जतिंदर पाल सिंह जी, उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह, प्रदेश सलाहकार अमोलक सिंह, कार्यकारी संयुक्त सचिव कुलवंत सिंह जब्बल, कानूनी सलाहकार रमेश कुमार सोनी और अन्य सदस्य उपस्थित थे।

Date 19.02.2025

पुलवामा हमले में हुए शहीदों को एन एच आर सी सी बी छत्तीसगढ टीम द्वारा दी गई विनम्र श्रद्धांजली

भास्कर दूत (ब्यूरो)

चाम्पा। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले की 6वीं वार्षिक तिथि पर शहीद वीर सपूतों को राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध एवं नियंत्रण ब्यूरो चांपा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ जतिंदरपाल सिंह के मार्गदर्शन एवं आदेशानुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध एवं नियंत्रण ब्यूरो छत्तीसगढ टीम के चाम्पा द्वारा थाना चौक में स्थित शहीद स्मारक में उन वीरों की याद में फूलों की माला एवं मोमबत्ती व दीप प्रज्वलित कर दो मिनट का मौन धारण कर उन शहिद वीरों को याद किया गया एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई । इस अवसर पर प्रदेश सलाहकार अमोलक सिंह संभाग संरक्षक राजेश सोनी जिला कार्यकारी अध्यक्ष गुरविंदर सिंह jila कार्यकारी सह सचिव कुलवंत सिंह कानूनी सलाहकार रमेश कुमार सोनी सक्रिय सदस्य पंकज राय , श्री सुखदेव देवांगन वालंटियर लवजीत कौर हरप्रीत कौर एवं जसपाल कौर साथ शामिल थे । इस अवसर पर पुलवामा में शहिद देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों के त्याग और समर्पण के लिए बलिदान होने वाले इतिहास में सदैव अमर होते हैं। इन शब्दों से उनको श्रद्धांजली अर्पित किया

Date 21.02.2025

पुलिस व्हाट्सएप से किसी आरोपी को नोटिस नहीं भेज सकती : सुप्रीम कोर्ट

कहा-सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुलिस को उचित निर्देश जारी करें

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस आपराधिक प्रक्रिया संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आरोपी व्यक्तियों को नोटिस नहीं दे सकती है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को निर्देश दिया कि वे सीआरपीसी, 1973 की धारा 41ए या बीएनएसएस, 2023 की धारा 35 के तहत केवल अनुमन्य माध्यम से नोटिस जारी करने के लिए पुलिस को उचित निर्देश जारी करें।

शीर्ष अदालत ने कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नोटिस जारी करने को सीआरपीसी, 1973/बीएनएसएस, 2023 के तहत मान्यता प्राप्त और निर्धारित तरीके के विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है। पीठ ने यह दिशा-निर्देश सतेंद्र कुमार अंतिल के मामले में न्याय मित्र के रूप में नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा के सुझाव को स्वीकार करते हुए 21 जनवरी को जारी किए। लूथरा ने ऐसे उदाहरणों को चिह्नित किया जहां सीआरपीसी, 1973 की धारा 41-ए के तहत व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भेजा गया था, लेकिन आरोपी जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस मशीनरी को सेवा के सामान्य तरीके का पालन करने के बजाय व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नोटिस भेजकर सीआरपीसी, 1973 की धारा 41-ए या बीएनएसएस, 2023 की धारा 35 के जनादेश को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

Ashokjangiradv

Date 21.02.2025

एन एच आर सी सी बी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यालय प्रभारी श्री अभिरंजन कुमार ने नवनिर्वाचित विधायक एवं माननीय मंत्री , दिल्ली सरकार श्री रवींद्र इंद्राज जी से मुलाकात कर बधाई एवं शुभकामनाएं दिया।

Thank you !